पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

सेलज

ग्राम पंचायत - लोलकपुर

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - सेलज गाँव आदिवासियों द्वारा बसाया गया लगभग 300 साल पुराना गाँव है। यहाँ के निवासी पहले जंगलों में रहते थे। ऐसा कहते हैं कि पुराने समय में यहाँ एक विद्यालय था जो सेलज विद्यालय नाम से जाना जाता था। उसी सेलज विद्यालय के नाम से यह गाँव सेलज के नाम से जाना जाने लगा। सेलज गाँव में प्रकृति प्रेमी आदिवासियों में रोत, डामोर, गमेती, पारगी और कवि उपजातियों के लोग रहते हैं। सेलेज गांव में दो मंदिर और एक धूणी है।

गाँव का एक परिचय - सेलज गाँव दोवड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत लोलकपुर का एक राजस्व गाँव है जो पहाड़ियों के बीच गांव से निकलने वाली सांद्री नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। गाँव जिला मुख्यालय डूंगरपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। जो डूंगरपुर से बांसवाड़ा जाने वाले मार्ग से लगभग 6 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। गांव में लगभग 550 घर हैं और आबादी लगभग 2800 है। गांव में अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं। सेलज गांव में अनुसूचित जनजाति में रोत, डामोर, गमेती और पारगी उपजातियों के लोग रहते हैं। गाँव में अनुसूचित जाति के करीब 16 घर हैं उसमें कवि(ढोली), यादव(चमार), जाति के लोग रहते हैं। गांव के लगभग 100 घरों में बिजली की सुविधा नहीं है। राशन की दुकान, पोस्ट ऑफिस और चिकित्सा सुविधा गांव में नहीं है। सरकारी राशन की दुकान नवा टापरा में है जो गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर है। पोस्ट ऑफिस 7 किलोमीटर दूर आंतरी में है। ईलाज के लिए गांव वालों को 25 किलोमीटर दूर दूर जाना पड़ता है। दैनिक सामान की खरीदारी के लिए 4 किलोमीटर दूर आंतरी बाज़ार तक जाना पड़ता है। सामान्यतया वहां लोगों को पैदल जा कर सामान लाना पड़ता है क्योंकि गांव में कोई आने जाने के लिए वाहन नहीं चलता है। गांव के लोग धान, मक्का, उड़द और गेहूं की खेती करते हैं। जिनके पास सिंचाई के साधन है वह धान और गेहूं पैदा करते हैं। गांव के अधिकतर लोगों के पास पहाड़ियों की ढलान और उबड़ खाबड़ तथा पथरीली जमीन है जिस पर वह खेती करते हैं। बहुत कम लोगों के पास समतल जमीन है और वह भी इतनी नहीं है पूरे वर्ष भर खाने का अनाज हो जाए। गांव में चार-छः महीने खाने भर का अनाज होता है। बाकी समय उनको बाज़ार से खरीदकर ही खाना पड़ता है। खाने में गेहूं और मक्के की रोटी के साथ दाल सब्जी खाते हैं। सब्जी और दाल तभी मिलती है जब उनको कोई रोजगार मिलता है। रोजगार नहीं मिलने की की स्थिति में लोगों को लहसुन, मिर्ची और नमक की चटनी से गुजारा करना पड़ता है। गांव में कृषि के अलावा मनरेगा ही रोजगार का एकमात्र साधन है। मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोगों को न तो 100 दिन काम मिलता है न ही पूरी मजदूरी मिलती है। जिसके कारण गाँव के युवाओं का दूसरे प्रांतों में पलायन लगातार जारी है। गांव में 5 फले हैं - जो पालिया दरा फला, हीतरी फला, काला तालाब फला, भूंगड़ा फला फला और उटा फला है। सेलज गांव में छोटी-छोटी पहाड़िया पूरे गांव में है। सेलेज गांव के पड़ोसी गांव विरी, नवा टापरा, हिराता, बंदड़ा, आंतरी और माना चौकी है। सेलज गांव में गांव सभा का गठन 16 दिसंबर 2017 को और शिलालेख 17 जनवरी 2018 को हुआ। गांव में पहाड़ है और उस पर

लोगों का व्यक्तिगत कब्जा है गांव में खनिज है और दो वर्ष पहले तक मार्बल और सोप स्टोन का खनन हो रहा था। गांव में जंगल है और उस पर वन विभाग का कब्जा है । राशन में मात्र गेहूं मिलता है। पहले चावल, चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता था। अब सब बंद कर दिया गया है। गाँव के लोगों की पेसा कानून के बारे में कुछ-कुछ समझ बन पाई है। गांव का निकटतम बस स्टैंड 7 किलोमीटर दूर हीराता में है। गांव का पुलिस थाना वरदा में है।

आवागमन की स्थिति - सेलज गांव में जाने के लिए डूंगरपुर से बस जीप अथवा टेंपो से जाया जा सकता है। वहां जाने के लिए तीन रास्ते हैं। पहला डूंगरपुर से टेंपो या जीप लोलकपुर के लिए जाती है फिर लोलकपुर जीप/टेम्पों स्टैंड से पैदल 3 से 5 किलोमीटर चलकर सेलज गांव जाया जा सकता है। दूसरा बस/जीप या टेंपो द्वारा हिराता बस स्टैंड पर उतर कर पैदल 4 किलोमीटर चलकर सेलज गांव में पहुंचा जा सकता है। तीसरा बस या जीप से आंतरी बस स्टैंड पर उतर कर टेंपो से या पैदल चल कर जा सकते हैं जो करीब 4 किलोमीटर दूर है। तीनों रास्ते से गांव जाने के लिए पक्की सड़क है। सेलज के लिए जहां से ऑटो मिलते हैं वे पूरा(ओवरलोड) भरने पर ही चलते हैं। 5-6 क्षमता वाले ऑटो में 10-15 लोगों को ठूंस-ठूंस कर भेड़ बकरियों की तरह बिठाते हैं। इसलिए और इन्तजार न करके तथा पैसे बच जाए इस उद्देश्य से कई बार लोग पैदल चलकर अपने-अपने घरों को जाते हैं। गांव में 1 सी.सी. सड़क है। गाँव में कुछ कच्चे रास्ते है और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने जाने के लिए पगडण्डी है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में दो आंगनवाडी है। बच्चों के पढ़ने के लिए 2 प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें से एक नदी के इस तरफ और एक नदी के उस तरफ है एक स्कूल में बच्चों की संख्या 40 है और दूसरे स्कूल में 45 है। दोनों स्कूलों में अध्यापकों की संख्या कुल 3 है। पढ़ाने के लिए अध्यापकों की कमी और विद्यार्थियों की बैठने के लिए कमरों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के कारण शिक्षा प्रभावित हो रही है। बच्चों को उनकी कक्षा स्तर का ज्ञान नहीं है। विद्यालय में बच्चों को पीने के पानी के लिए एक हैंडपंप है जिस में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। पानी की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से बच्चे वही फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं। कक्षा छठवीं से बारहवीं तक की शिक्षा के लिए बच्चों को पड़ोसी गांव लोलकपुर जाना पड़ता है। अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को लोलकपुर भेजते हैं ताकि बार-बार स्कूल नहीं बदलना पड़े। गरीबी के कारण साइकिल भी कई विद्यार्थी नहीं ले पाते है। स्नातक के लिए 20 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है। गाँव में ईलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र लोलकपुर में है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र नवा टापरा में भी है और नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आंतरी में है। गांव में गंभीर रूप से बीमार लोगों को जिला अस्पताल डूंगरपुर ले जाते हैं। मरीजों के लिए कभी-कभी ही 108 सुविधा मिलती है अन्यथा उनको निजी साधन से अस्पताल जाना पड़ता है।

गाँव की समस्याएं -

आवागमन की कमी - सेलज गाँव में आवागमन की समस्या है क्योंकि कहीं आने जाने के लिए बस हीराता से मिलती है। गाँव से तीन से पांच किलोमीटर पैदल चलने के बाद हीराता पहुँच सकते हैं। गाँव से हीराता जाने के लिए रोड़ तो बना हुआ है लेकिन कोई साधन नहीं चलता है। सेलज गाँव से लोलकपुर होते हुए डूंगरपुर जाने के लिए 2-4 किलोमीटर पैदल चलने पर जीप भी मिलती है, लेकिन वह पूरी भरने के बाद ही चलती है इसलिए कई बार मजबूरी में घंटों इन्तजार करना पड़ता है जो गाँववालों की आदत बन चुकी है। गाँव में एक पक्की सड़क है जो लोलकपुर स्कूल से हीराता बस स्टेंड जाती है। जो अब कहीं-कहीं टूट-फूट गई है। गाँव में एक और पक्की सड़क है जो लोलकपुर से आंतरी जाती है। वो भी कहीं-कहीं टूट-फूट गई है। गाँव में कोई आर.सी.सी. रोड़ नहीं है। गाँव में सारे रास्ते कच्चे और उबड़-खाबड़ रास्ते है और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने-जाने के लिए पगडण्डी है। वाहनों को उबड़-खाबड़ जमीन होने से और रोड़ नहीं होने से गाँव के अंदर तक आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गाँव में रास्ते के अभाव से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार, बूढ़े और बच्चों को होती है। बीमार लोगों को अपने घरों से गाँव की सड़क तक लाने के लिए चारपाई अथवा झोली में लिटा कर लाना पड़ता है और बच्चों को 2-5 कि.मी.पहाड़ी रास्तों पर पैदल चल कर विद्यालय जाना पड़ता हैं।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - सेलज गाँव में चारागाह की जमीन 40.636 बीघा है। सेलज गांव में जंगल 80 बीघा है। गांव में कृषि जमीन 246.426 बीघा, बेनामी जमीन 103.28 और जंगल की जमीन सात बीघा है। गाँव में समतल जमीन बहुत कम है। पहाड़ियों की घाटी में कुछ ही समतल जमीन है। वह भी कुछ लोगों के पास है बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलानें, उबड़-खाबड़ तथा पथरीली जमीन है। गाँव के सारे पहाड़ खाली पड़े है कहीं-कहीं बबूल और सागवान के पेड़ हैं। जिससे उनके अंदर हमेशा यह भय बना रहता है कि कभी भी सरकार उनकी जमीन छीन सकती है। गाँव के किसानों में वृक्षारोपण के प्रति भी भय व्याप्त हैं। वह समझते हैं कि जिस तरह से सरकार ने जंगल पर वन विभाग का कब्जा करा दिया है। उसी तरह अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो हमारी जमीन को भी वन विभाग कब्जे में कर लेगा जिसके चलते वृक्षारोपण के प्रति उनकी उदासीनता है। गांव में एक नदी(सांद्री नदी) है जिसके दोनों किनारों पर गाँव बसा हुआ है। गाँव से आगे जाने पर नदी पर एक बांध बना हुआ है। जो मार्गीया महुड़ा गाँव में है। बाँध का पानी गाँव में गुजरती नदी में दिसम्बर तक कुछ रूकता है। दिसम्बर बाद नदी गाँव में पूरी तरह सूख जाती है। गांव में एक नाला है। गांव में तीन एनीकट है जो टूटे फूटे हैं। गाँव में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। पीने के पानी को दूर-दूर से चल कर लाना पड़ता है। गाँव का भूजल-स्तर लगातार नीचे जा रहा है। गर्मियों में बोरवेल में भी पानी कम हो जाता है। मार्च के बाद अधिकतर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। पानी के संकट को दूर करने की योजना या कार्य नीति अभी तक नहीं है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव में कृषि के लायक भूमि या तो बहुत कम है या किसी के पास है भी तो वह पहाड़ों की घाटी में है। बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती है। जिन लोगों के पास निजी ट्यूबवेल है वह लोग अपनी समतल जमीन में धान और गेहूं पैदा करते हैं। बाकी लोग केवल बरसात में होने वाली फसल पर ही निर्भर करते हैं। सूखे की स्थिति में उनकी खेती से कोई उपज नहीं मिल पाती है। धान, गेहूं, मक्का,सोयाबीन और उड़द उनकी मुख्य फसल है। जिनके पास समतल जमीन है और वह भी गेहूं और चना पैदा कर पाते हैं तो उनको 4 से 6 महीने खाने भर का अनाज हो जाता है। बाकी लोग 2 से 4 महीने ही खाने भर का अनाज पैदा कर पाते हैं। वह भी प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। अपनी स्वयं की खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही मात्र गाँव में रोजगार का साधन है। खेती भी इतनी नहीं है कि वह पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके। मनरेगा में मजदूरी की दशा खेती से भी बदतर है। पूरे वर्ष में साठ से सत्तर दिन काम और सत्तर से नब्बे रु. रोज की मजदूरी मिलती है। नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनको ना तो सौ दिन पूरे काम मिलता है और ना ही पूरी मजदूरी मिल पाती है। यह मनरेगा भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार का साधन नहीं बन सका है। बदहाली और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर वहां उनको कोई काम मिलता है तो ठीक नहीं तो बिना काम वह वापस घर चले आते हैं और फिर दूसरे दिन उसी मजदूर मंडी में पहुंच जाते हैं। जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। जहां वह ढाई सौ से तीन सौ रु. की दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गांव में नौकरी करने वालों की संख्या 25 है।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल नदी नाला - 1 कुआं - 9 बोरवेल - 10 हैंड पंप - 17	गाँव से एक नदी भी निकलती है जिसके दोनों तरफ़ गांव बसा हुआ है। जिसमें बरसात में ही पानी रुकता है। बरसात के बाद नदी बिलकुल सूख जाती है। गाँव से आगे जाने पर मार्गीया महुड़ा में नदी पर बांध बना हुआ है। बांध के कारण दिसम्बर माह तक गाँव में कुछ दूरी तक नदी में पानी रहता है । वह भी दिसम्बर के बाद खत्म हो जाता है।	गाँव में नाले पर बने एनीकट की मरम्मत करके और योजनाबद्ध तरीके से नए एनिकट बनाकर नदी और नाले के पानी को पूरे वर्ष तक रोका जा सकता है। गाँव के चारों तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तालाब में भी पूरे वर्ष तक पानी रोका जा सकता है। नदी, नाले और तालाब में पूरे वर्ष पानी रुकने से गाँव के अधिकतर लोगों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा

	गाँव में 9 कुए है जिनमें गर्मी में पानी सूख जाता है। गाँव के 10 लोगों ने अपने निजी बोरवेल करवा रखे है जिनमें भी गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चला जाता है। गाँव में 17 हैण्ड पम्प है। जिनमें से एक हैंडपंप खराब है। और सभी हैंडपंप में फ्लोराइड तथा आयरन पाया जाता है।	सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूजल स्तर ऊंचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से पीने के पानी और सिंचाई की संभावना बढ़ जाएगी। पुराने कुओं की मरम्मत करके अशुद्ध पीने के पानी से मुक्ति भी पाई जा सकती है। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है और ट्यूबवेल से पानी निकालने पर गाँव सभा को निर्णय करना होगा। पानी के संकट से छुटकारा पाने के लिए गाँव सभा से पंचवर्षीय योजना तैयार करवाकर इस पर तुरंत अमल करने की जरूरत है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह जंगल	गाँव की थोड़ी ही जमीन समतल है बाकी पहाड़ी ढलानवाली, उबड़-खाबड़, पथरीली है। समतल जमीन कुछ ही उपजाऊ है। बेनामी जमीन पर भी लोगों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है। बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। गांव का जंगल खत्म हो चुका है और उसे फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है।	गाँव में जितनी जमीन है उसके आधी जमीन पर खेती होती है और विला नाम भूमि तथा आधे चरागाह पर भी खेती की जाती है। गाँव की ज्यादातर जमीन पहाड़ और पथरीली तथा उबड़-खाबड़ होने से खेती में उत्पादन बहुत कम होता है खेती, वृक्षारोपण, मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सकती है। जो जमीन सिंचित है उस पर खेती करने तथा संपूर्ण असिंचित जमीन पर बागवानी करने से गाँव के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को

		अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। जंगल को पुनर्जीवित करके उससे लघु वन उपज भी ले सकते हैं। जिससे गाँव के लोगों की आय का स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। गाँव तक नदी, नाले और तालाब में पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई की भी व्यवस्था की जा सकती है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों को जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है। अगर योजनाबद्ध तरीके से पानी रोकने खेती/बागवानी/पशुपालन/मछली पालन/छोटे व्यवसाय के लिए लोग सोचना और समझना शुरू करें तो गाँव से नौजवानों के पलायन को रोका जा सकता है और गाँव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। भले ही वह सीमित ही क्यों ना हो।
जंगल	गांव में जंगल की जमीन है पर उस पर वन विभाग का कब्जा है जिसमें कुछ कटीली झाड़ियां और बबूल के अलावा कोई फलदार और लघु वनोपज से आय देने वाले पेड़ नहीं है। पहाड़ी वन भूमि पर कुछ विलायती बबूल लगे हैं।	जंगल पर गांव सभा द्वारा सामुदायिक दावा कर के जंगल को गांव सभा के अधीन करना और विलायती बबूल का उन्मूलन करके फलदार वृक्ष लगाने की योजना बनाना। इसप्रकार जंगल को पुनर्जीवित करना।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव में लोग खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बैल तथा बकरी भी पालते हैं। पशुओं के लिए चारा गाँव के लोगों के पास मार्च तक खत्म हो जाता है। मार्च के बाद लोगों को चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है। बरसात होने पर जब घास उगती है तब जाकर उनको चारा खरीदने से राहत मिलती है। चारे के अभाव में उनके पशु गर्मियों में बहुत कमजोर हो जाते हैं। अच्छी नस्ल न होने और पौष्टिक चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर

दूध देती है। गाँव के आधे चरागाह पर लोगों का कब्जा है और बचे हुए चरागाह की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। उसमें चारा प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। गाँव में जंगल की जमीन में कटीले बबूल और झाड़ियां होने से चारा कम ही मिल पाता है। गर्मियों के दिनों में पहाड़ियों पर घास होती ही नहीं है। पशुओं के चारे और अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था गाँव की पहाड़ियों और बेकार पड़ी जमीन से और सरकारी विभागों के सहयोग से की जा सकती है। इसके लिए गाँव के लोगों को सामूहिक रूप से बैठकर अपनी सहमति से कृषि और पशुपालन विभाग की मदद से चारे और देसी की जगह अच्छी नस्ल के पशुओं की समस्या का समाधान किया जा सकता है और पशुपालन से लोगों के आय के साधन बढ़ाए जा सकते हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - गाँव में खेती और मनरेगा में मजदूरी करने के अलावा लोगों को गाँव में अन्य कोई भी काम नहीं मिलता है। एक तो कृषि-जमीन की कमी दूसरे पूरे वर्ष भर एक ही फसल होने से उनको 2 से 6 महीने खाने भर का ही अनाज पैदा होता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति महीने मात्र 5 किलो गेहूं के आलावा कुछ भी नहीं मिलता है। यह सब उनके परिवार के साल भर के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। भोजन के अलावा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग निकट के बाजारों या डूंगरपुर की मजदूर मंडी में काम की तलाश में जाते हैं। काम अगर मिल गया तो ठीक नहीं तो खाली हाथ घर जाना पड़ता है। महीने भर में उन लोगों को यहां 15 से 20 दिन ही काम मिल पाता है। मनरेगा में मजदूरी भी 60-70 दिन ही मिलती है और मजदूरी भी सौ रुपए से कम ही मिलती है। इसलिए गाँव के ज्यादातर युवा दूसरे शहरों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम, बड़ौदा और अहमदाबाद आदि में मजदूरी की तलाश में चले जाते हैं। वहां भी उनको मुश्किल से ढाई सौ से तीन सौ रु. तक की दैनिक मजदूरी पर काम करना पड़ता है। किसी तरह से लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गाँव में 25 लोग सरकारी और प्राइवेट कंपनी की नौकरी में हैं। जो लोग पढ़े लिखे और सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी है बाकी लोग अशिक्षा और गरीबी के कारण बदहाली में अपना जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं।

खनन - गाँव में पहाड़ियां है और गांव की पहाड़ियों में 2 वर्ष पहले तक मार्बल और सोप स्टोन का खनन हो रहा था। लेकिन अभी किसी प्रकार का खनन नहीं हो रहा है। खनन करने वालों का सामान खनन वाले स्थान पर आज भी पड़ा है।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक / व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	रास्ते की समस्या	**सार्वजनिक**	रास्ते के संकट का कारण सरकार की उपेक्षा एवं पंचायत द्वारा भ्रष्टाचार एवं पक्षपातपूर्ण रवैया है। जो सड़क बनाई जाती है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से वह दो तीन वर्षों में ही टूट जाती है। कच्चे रास्ते एक बार बना देने के बाद उसकी मरम्मत भी नहीं की जाती है। गाँव के लोगों का रास्ते के लिए जमीन न देना भी रास्ते निर्माण में एक बड़ी बाधा है ।	रास्ते के संकट से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा जहां रास्ते नहीं है वहां के लिए प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में रास्ते के सभी प्रस्ताव शामिल करने की गाँव सभा ने योजना बनाई है और सतर्कता समिति का भी गठन किया है जो गाँव सभा में होने वाले किसी भी कार्य की निगरानी करेगी तथा रास्ते के बीच में जिन लोगों की जमीन आ रही है उन लोगों से भी सहमति बनाने का प्रयास गाँव सभा द्वारा किया जा रहा है।	**तात्कालिक**
2	शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों का शैक्षणिक स्तर बहुत ही खराब है। उन्हें पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक हैं और न ही छात्रों के बैठने हेतु कमरे। जो कमरे हैं उनमें से भी चार कमरों की छत से बरसात में पानी टपकता है। बच्चों को शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। विद्यालय में जो	गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक करके विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति और विद्यालय भवन की मरम्मत तथा पानी की व्यवस्था ठीक करने और आंगनवाड़ी भवन निर्माण तथा उसकी मरम्मत करने के प्रस्ताव लिए गए हैं। गाँव सभा में यह भी	**तात्कालिक**

			हैंडपंप है उसमें फ्लोराइड और आयरन पाया जाता है।	निर्णय लिया गया है कि विद्यालय और आंगनवाड़ी की समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा द्वारा शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। यह समस्या ब्लॉक के हर गाँव में है इसलिए ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों को एक साथ बैठकर इस समस्या से निपटने की योजना तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है।	
3	कृषि समस्या	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि व्यवस्था लगभग प्रकृति पर निर्भर है। उबड़ खाबड़ पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली जमीन पर जो खेती होती है उसमें उत्पादन भी बहुत ही कम होता है। संकट तब और बढ़ जाता है जब उन्नतशील बीज और खाद भी नहीं मिलती है। गाँव की बहुत सारी जमीन भी बेकार पड़ी हुई है। गाँव से निकलनेवाली नदी में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से नदी का सारा पानी निकल जाता है । जिसके लिए गाँव के लोगों के पास कोई योजना नहीं है।	खेत का समतलीकरण। बरसात के पानी को रोकने के लिए नदी नालों पर एनीकट निर्माण और पुराने एनिकट की मरम्मत के अलावा तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत खेत तलावड़ी, मेड़बंदी कच्चे डैम निर्माण करके गाँव में सिंचाई के संकट का समाधान किया जा सकता है जिससे पूरे गाँव में कृषि का उत्पादन बढाया जा सकता है, वृक्षारोपण, मछलीपालन करके गाँव के सभी लोगों की आय को बढाया जा सकता है । खेती के साथ-साथ बागवानी पर भी ध्यान देकर और उन्नतशील बीज तथा खाद की उपलब्धता के साथ कृषि जमीन की उर्वराशक्ति को बढ़ाकर	**तात्कालिक**

				उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। जंगल को विकसित करके लघु वनोपज भी लिया जा सकता है जिससे लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है।	
4	काबीज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	**सार्वजनिक / व्यक्तिगत**	गाँव के लोग सैकड़ों साल से गाँव में बसे हुए हैं जिस भूमि पर वह काबीज है। वह उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं है। जमीन का हक नहीं मिलना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन सुधार की योजना सरकार के पास नहीं है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण किसानों को अपनी काबिज भूमि पर अधिकार पत्र देना राजस्व विभाग ने बंद कर दिया है। किसानों में एक प्रकार से भय पैदा हो गया है इसलिए भी खेती की बेहतर योजना बनाने के प्रति उदासीनता व्याप्त है कि सरकार कब उनकी जमीन छीन लेगी! ऐसी आशंका उनको हमेशा सताती रहती है।	गाँव के लोगों ने काबीज भूमि पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज है उसके दावे की फाइल तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा कराया जाएगा और जिनके पट्टे मिल गए हैं उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी गाँव सभा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए गाँव सभा ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है।	**दीर्घकालिक**
5	आवास/ शौचालय निर्माण और उसके भुगतान संबंधी समस्या	**व्यक्तिगत**	आवास निर्माण में पंचायत द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण जरूरतमंद लोगों को आवास नहीं मिल पाता है । जिनका आवास निर्माण होता भी है तो उनको घूस के रूप में दस हजार रु. का भुगतान पहले करना पड़ता है ।	गाँव सभा ने इस समस्या के समाधान के लिए बैठक में जरूरतमंद लोगों के आवास निर्माण और बकाया भुगतान के लिए आवेदन करने की कमेटी बनाकर उसे इसकी जिम्मेदारी दी गई है।	**तात्कालिक**

			शौचालय के लिए पहले गाँव के लोगों को शौचालय बनाना पड़ता है। फिर भुगतान किया जाता है। उसके लिए भी लोगों को सेवा शुल्क(घूस) देना होता है। सेवा शुल्क देने के बाद भी गाँव के कुछ लोगों को शौचालय का भुगतान नहीं मिला है।		
6	पेयजल की समस्या	**व्यक्तिगत**	गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है। जिससे उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं होने से संकट लगातार बढ़ रहा है।	समाधान बरसात के पानी को पूरे वर्ष नदी नाले और तालाब में रोकने की योजना बनाना बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths **शक्तियां**	**W- Weakness** **कमजोरी**	**O- Opportunities** **अवसर**	**T- Threats** **चुनौतियां**
आवागमन - गाँव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव कमेटियों का मजबूत ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल नदी	गाँव से निकलने वाली नाले पर एक एनीकट	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को

नाला एनीकट कुआं बोरवेल हैंड पंप नदी	बना हुआ है। उस एनीकट में से भी पानी रिसकर निकल जाता है। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। नदी पर कोई बांध नहीं होना । कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव के तालाबों की मरम्मत और गहरीकरण नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी।	एनिकट बनाना। नदी पर बांध बनाने की योजना। गाँव के तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तथा बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता। साथ ही साथ जल संरक्षण की चल रही योजनाओं की जानकारी का अभाव।
कृषिभूमि जंगल पशुपालन मछलीपालन	वन को गाँव सभा के अधिकार में लेने के प्रति उदासीनता। खेत समतलीकरण योजना को पंचायत से लेने के प्रति उदासीनता। चारागाह पर गाँव के लोगों का अवैध कब्जे के कारण चारे की कमी तथा चारागाह की खाली जमीन पर चारे के प्रबंधन के प्रति उदासीनता। पशुपालन के प्रति उदासीनता। सब्जी की खेती हेतु सिंचाई की व्यवस्था का अभाव। मछलीपालन न करना।	लघु वन उपज, गौण खनिज, दूध व्यवसाय भेड़ और बकरी पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन और सब्जी की खेती की जा सकती है। गाँव के जंगल में फलदार और इमारती लकडियों का वृक्षारोपण कर के लघु वन उपज प्राप्त किया जा सकता है। खेत का समतलीकरण करके और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कर के कृषि उपज बढाई जा सकती है। पशु पालन के लिए चारागाह की जमीन पर चारे की व्यवस्था और उन्नतशील नस्ल के	खेती के लिए उन्नतशील बीज और सिंचाई के साधनों का अभाव। उन्नत नस्ल के पशुओ का अभाव। वन पर सामुदायिक दावा पत्र न मिलना। मछलीपालन करना।

		दुधारू जानवरों की व्यवस्था। भेड़, बकरी और मुर्गी पालन। सब्जी की खेती	
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना। जंगल को फिर से हराभरा करना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

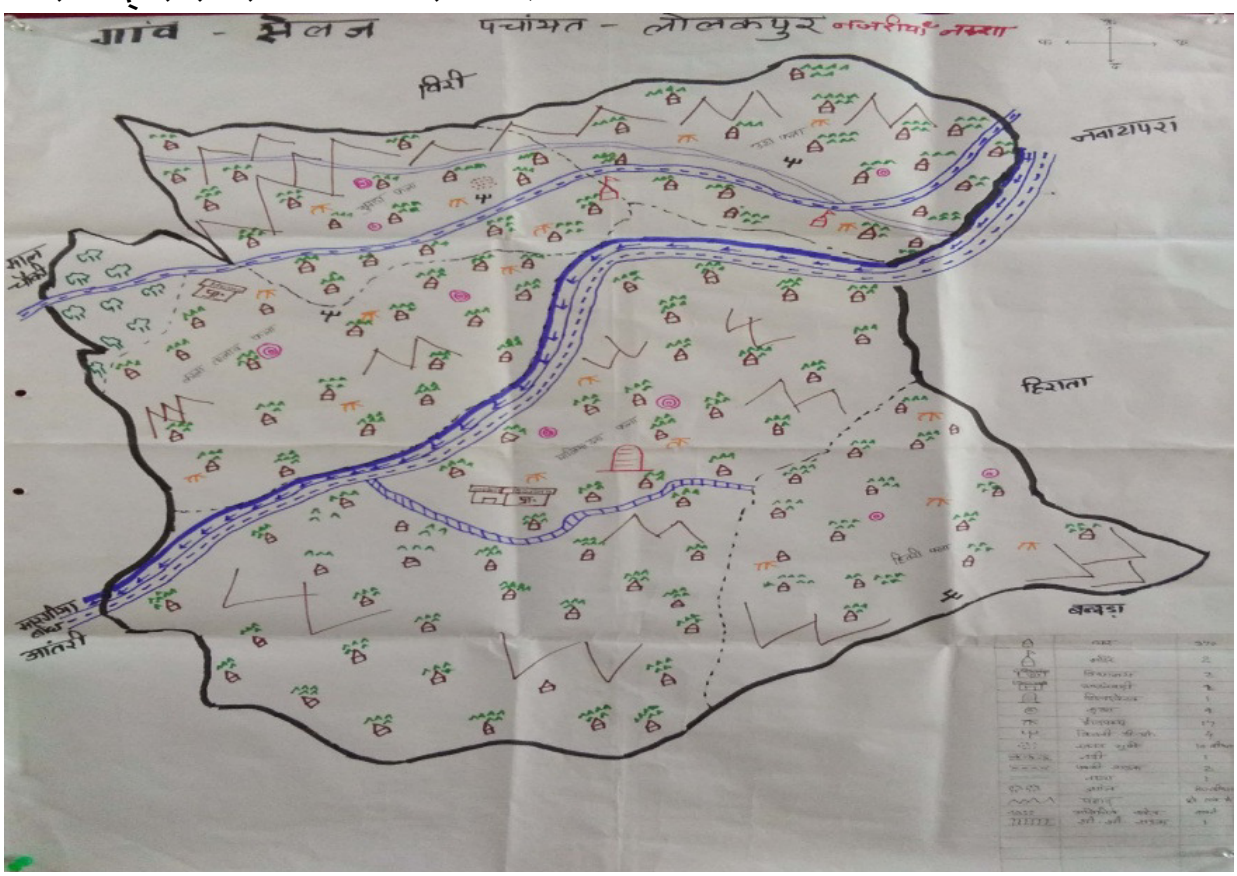

नजरिया नक्शा सेलज

सेलज गाँव में नदी और उसके किनारे बनी सड़क

सेलज गाँव की जमीन का दृश्य

सेलज गाँव की उबड़ खाबड़ पहाड़ी जमीन पर दूर दूर बसे आदिवासी लोगों के कच्चे घर

सेलज गाँव में सड़क से नदी का दृश्य

सेलज गाँव में सड़क से नदी का दृश्य

सेलज गाँव में दूर दूर बसे लोगों के घर

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1.	कुआ निर्माण और मरम्मत के संबंध में	14
2.	हैंड पंप नए	15
	पुराने हैंडपंप की मरम्मत	1
3.	खेत समतलीकरण	34
4.	खेत तलावड़ी	18
5.	कच्चे चेक डैम	11
6.	फूटा तालाब मरम्मत कार्य	1
7.	सड़क/कच्चा रास्ता	4
	1. बरिया से अद्रिया होते ही हागरी तक सड़क निर्माण मय पुलिया	1
	2. टिवरा वाली दरी से बोर वाला डोंगरा तक सड़क निर्माण	1
	3. अमली गाड़ी से कमड़ा वाली गाती होते हुई हरिजन बस्ती तक सड़क निर्माण(कच्ची)	1
	4. गराडीया से रतनाडोंगर तक कच्ची सड़क निर्माण	1
8.	इंदिरा आवास निर्माण	22
9.	पशु बाड़ा निर्माण	30

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

प्रस्ताव जमा करवाते सेलज के गाँववासी

प्रस्ताव जमा करवाते सेलज के गाँववासी

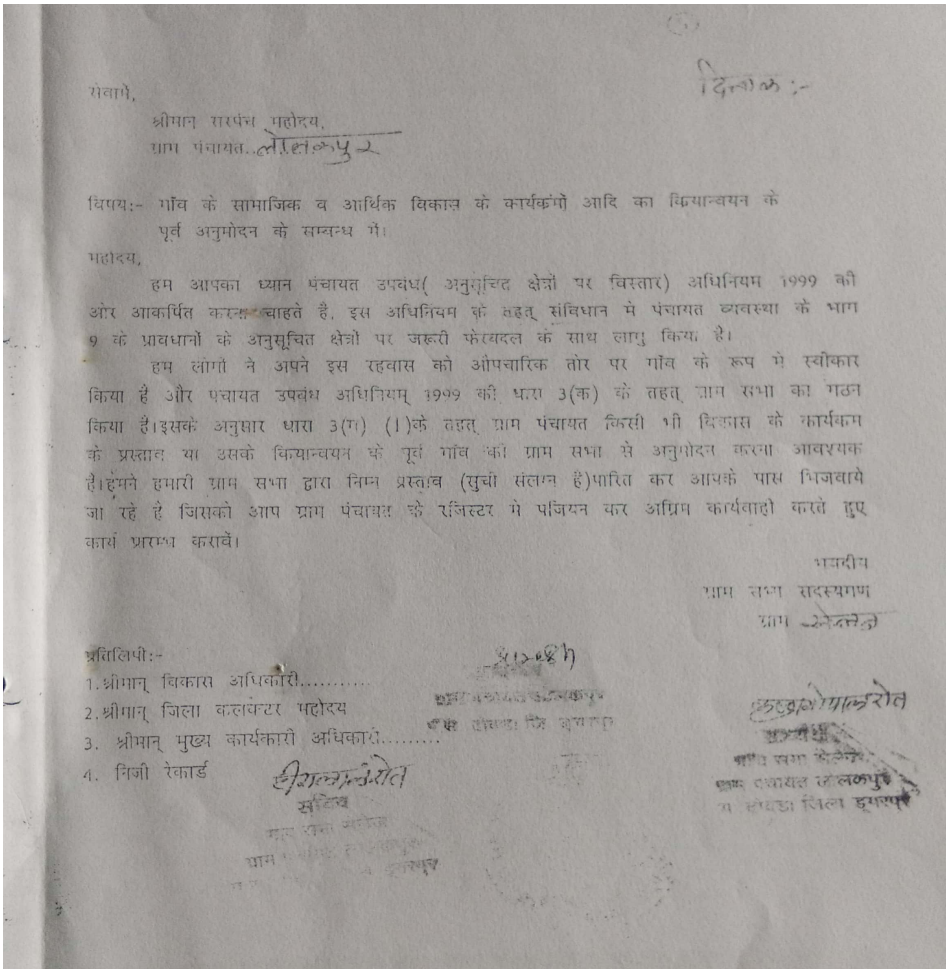

दिनांक :-

सेवामें,

श्रीमान सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत..

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम

प्रतिलिपी:-
1.श्रीमान् विकास अधिकारी..........
2.श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........
4. निजी रेकार्ड

सचिव

सूचना

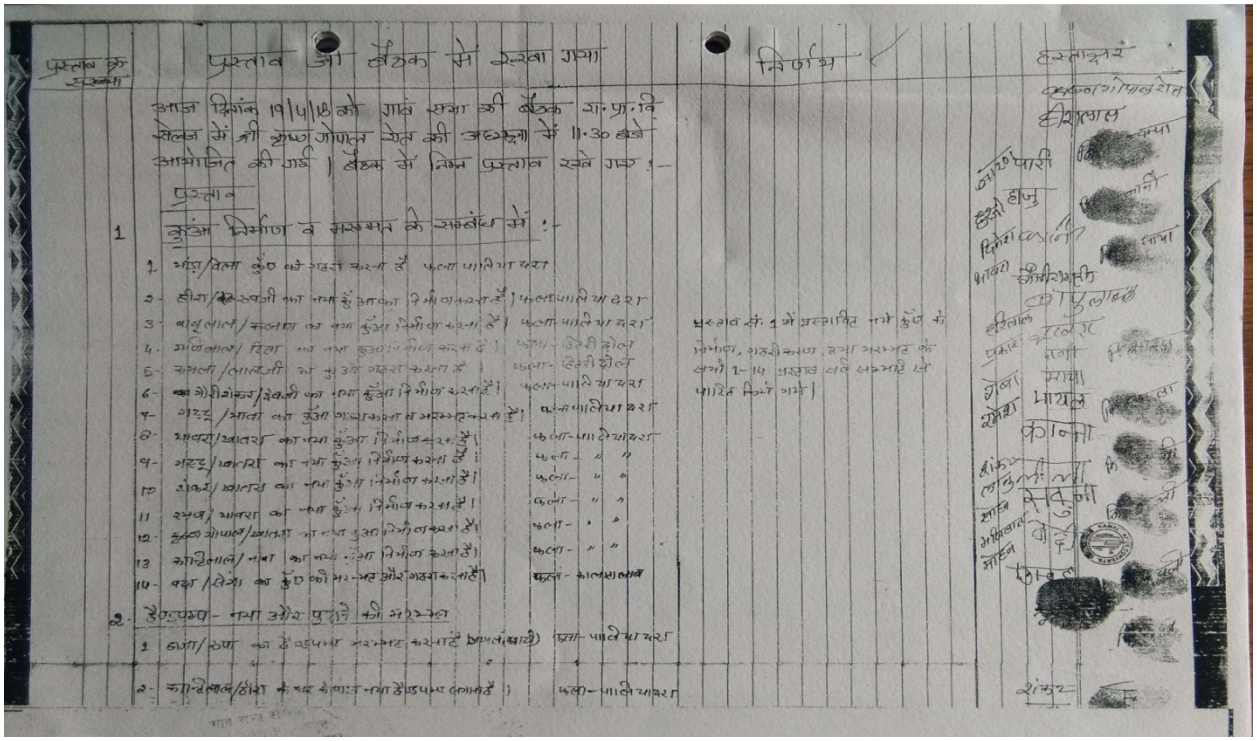

प्रस्ताव प्रथम पेज

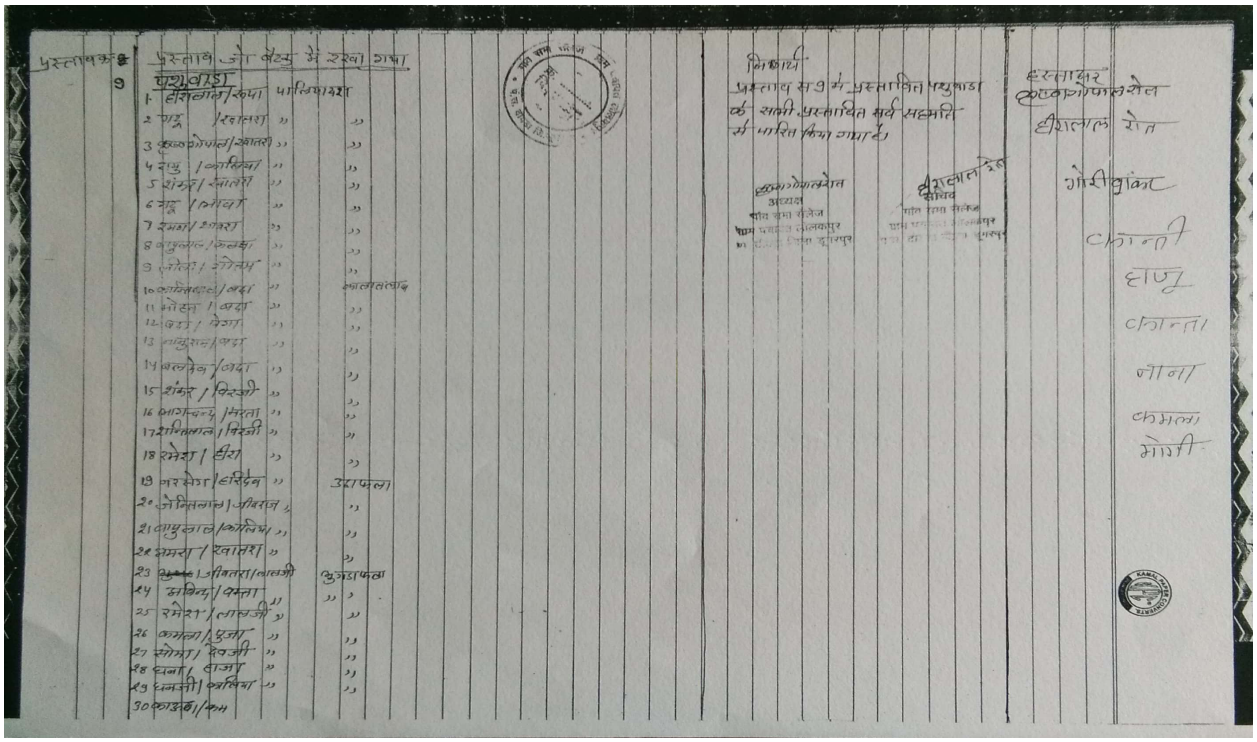

प्रस्ताव अंतिम पेज

लोकसशक्तिकरण के लिए पैसा जागरूकता अभियान के एक कार्यक्रम में गाँव सेलज के लोग

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

नाम फोन न.

1. कृष्णगोपाल खातरा 9587172629
2. हिरालाल रूपा 9166181216
3. मणिलाल दीता 9680395984
4. नाना रूपा 9636993644
5. गौरी शंकर देव जी 8107514240
6. कांतिलाल हीरा 9950532518
7. कांति देवी कृष्ण गोपाल 4587172629
8. हाजु देवी गौरी शंकर 8107514239
9. देवली दीता 9680395984
10. डोली देवी चंदूलाल 9571811922